न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला बीकानेर
बइजलास – श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 39/2020 निर्णय दिनांक 08.04.2021

1. विनिय कुमार पुत्र नारायण कुमार जाति गुप्ता निवासी 131 लाजपथनगर, मुरादाबाद (यू.पी.) हाल बीकानेर मार्फत मु. आम श्रीराम अग्रवाल पुत्र श्री बंशीधर अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी गोपेश्वर बस्ती बीकानेर।

..... वादी

बनाम

1. श्री अन्तरचन्द पुत्र श्री हरिश कुमार जाति राजपुत ओड निवासी सालासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. श्री अमरचन्द पुत्र हरिराम जाति राजपुत ओड निवासी बछीपुर
3. श्री राजुराम पुत्र कोडाराम जाति राजपुत ओड निवासी नीमच तहसील अलवर जिला अलवर।
4. राजस्थान सरकार

..... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अभिभाषक :–

1. श्री रणजीतसिंह निर्वाण अभिभाषक वादीगण।
2. राज्य की और से पैरोकार राज
3. प्रतिवादी सं. 1 व 3 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही।

निर्णय

दिनांक :– 08.04.2021

विचाराधीन वाद दिनांक 31.12.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ।

1. प्रकरण से सम्बन्धित आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादी ने अपने मुख्त्यार आम के जरिये एक वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खाता तक्सीम प्रस्तुत करते हुवे अभिकथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 83 जिसका क्षेत्रफल 6.3200 हैक्टर है, जो ग्राम सालासर तहसील कोलायत में स्थित है के वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 सयुक्त खातेदार काश्तकार है, तथा वे अपने अपने हिस्सों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। भूमि मुतनाजा मे वादी का हिस्सा 2.40 हेक्टर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 2.34 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का बहिब 1.58 हैक्टर है। चुकि राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा संयुक्त रूप से दर्ज होने खेती करने एवं जमीन के विकास करने के कार्यो में कई प्रकार की कठिनाईयों उत्पन्न हो जाती है। तथा पक्षकारान के मध्य आपस में मनमुटाव बना रहता है। अस्तु वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाकर अलग खाता एवं लगान कायम कराने है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और तब वादी ने यह वाद न्यायालय

Scanned with CamScanner

में दायर करना पड़ा। वादी की और से एक नजरी नक्शा वाद पत्र के साथ सलंगन कर उसमे अपनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की भूमियों को अलग–अलग रंगों से दर्शाते हुवे इसके मुताबिक विभाजन कर डिग्री जारी कर दावा अपने पक्ष में स्वीकार करने का निवेदन किया।

2. इस वाद के प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को सम्मन बनाम मुदायलाह बिनावर कामयी तकनियात दिलाया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को रजिस्टर्ड डाक से तलब किये गये तथा 30 दिवस की कानूनी अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी प्रतिवादी न तो स्वय एव न ही उनकी और से कोई प्लीडर न्यायालय में उपस्थित हुवा। परिणाम स्वरूप उनके विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में ली गयी। प्रतिवादी राज्य की और से पेरोकाराज उपस्थित आये तथा संयुक्त खातेदारान के मध्य किये जाने वाले बंटवारे मे अपनी सहमती प्रकट की है।

3. चुकि प्रतिवादीगण न तो न्यायालय में उपस्थित आये और न नही किसी प्रकार से वादीगण के वाद का लिखित कथन प्रस्तुत कर प्रत्याख्यान ही किया है। अस्तु विभाजन की डिग्री पर योग्य अभिभाषक वादी एवं राज्य की और से उपस्थित पेरोकारराज की बहस समायत की गई तथा रिकॉर्ड का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। सम्वत् 2072 लगायत 2075 ग्राम सालासर की जमाबन्दी की सत्य प्रतिलिपि की चित्र प्रति, खसरा गिरदावरी की फोटोप्रति पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है। राजस्व अभिलेखनों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 सयुक्त सह खातेदार अभिलेखों में अंकित है। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह उपबन्ध है कि एक इन्द्राजित खातेदार काश्तकार अपनी हिस्से की भूमि का विभाजन करवायें जाने का अधिकार है। इस केस के तथ्यों को देखा जाये तो वाद पत्र में खाता विभाजन मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार करने का अभिकथन वादी ने किया है। चुकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। तथा उनके मध्य खाता विभाजन किया जाने में किसी भी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन आनी प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद बाबत् खाता विभाजन काबिले स्वीकार है।

4. उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है डिग्री पर्चा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 सादिर की जाती है वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 3 के मध्य उनके हिस्से पर काबिज काश्त के मुताबिक वादी का खाता अलग–अलग कायम कर अलग लगान कायम कर उसकी भूमि अलग नक्शा अक्स में तरमीम कर उनके खाते पृथक–पृथक कायम करने के आदेश दिये जाते है। वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा के अनुरूप खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पर्चा डिग्री जारी हों। तदानुसार तहसीलदार राजस्व कोलायत अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत बीकानेर

Scanned with CamScanner